न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 62/2019 **दायर तारीख :– 29.07.2019**

1. झमकूदेवी पत्नि सोहनलाल जाति जाट नि0 वरड़ वालों की ढाणी भासिंहपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर राज0

— अप्रार्थी

उपस्थित : श्री लक्ष्मीनारायण कलवानिया, अधिवक्ता प्रार्थी
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131/136 लेण्ड रेवन्यू ऐक्ट

रेवन्यू ऐक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने बाबत् राजस्व रिकॉर्ड

निर्णय

निर्णय दिनांक : 8-11-19

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 जोबनेर गि0ह0 जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित आराजी ख0नं0 332 रकबा 18 बीघा 13 विस्वा है जिसमें प्रार्थीया 13/373 वां हिस्सें की रिकॉर्ड्ड खातेदार काश्तकार थी उक्त खातेदार ने अपने 13/373 वां हिस्सें का 1/4 हिस्सा जो कुल भूमि का 13/1492 वां हिस्सा होता है चन्दा देवी को दिनांक 04.05.16 को बेचान कर दी थी। उक्त बेचान पत्र दिनांक 04.05.16 के आधार पर चन्दादेवी के नाम नामान्तकरण सं0 1777 दिनांक 18.06.16 को तस्दीक किया गया जिसके अनुसार 13/372 वां हिस्सें में से चन्दादेवी के नाम 13/1492 वां हिस्से का इन्द्राज जमाबन्दी में किया गया उसके उपरान्त झमकूदेवी के हिस्से/खाते में 39/1492 हिस्सें की भूमि शेष रही जैसाकि नामान्तकरण सं0 1777 दिनांक 18.06.16 के नोट में अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थीया झमकूदेवी के हिस्सें में 39/1492 के अनुसार 09.75 विस्वा जमीन आती है। प्रार्थीया ने अपने 39/1492 हिस्सें का 1/3 हिस्सा की भूमि जिसका क्षेत्रफल 03.25 विस्वा होता है जो सम्पूर्ण रकबे का 13/1492 हिस्सा होता है जरिये रिजस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.12.16 को ओमप्रकाश चौधरी पुत्र नारायणलाल जाट नि0 टीबावाली ढाणी भासिंहपुरा को बेचान की जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 1810 दिनांक 02.01.17 को पटवारी हल्का ने भरा जिसके अनुसार पटवारी हल्का ने क्रेता ओमप्रकाश का हिस्सा बेचान के अनुसार 13/1492 तो सही भर दिया किन्तु शेष हिस्सा 26/1492 जिसका क्षेत्रफल 6.5 विस्वा होता है की बजाय सहवन से शेष हिस्सा 26/1492 की बजाय 13/1492 दर्ज कर दिया गया। उक्त लिपिकीय भूल के कारण जमाबन्दी खाता सं0 नया 151 पुराना 63 संवत् 2073–2076 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 जोबनेर के कॉलम नं0 4 खातेदारों के खाने में झमकूदेवी पत्नि सोहनलाल जाति जाट हि0 13/73 दर्ज कर दिया गया वास्तव में झमकूदेवी द्वारा अपने 39/1492 वां हिस्से में से 13/1492 वां हिस्सा ओमप्रकाश को विक्रय के बाद हिस्सा 26/1492 की खातेदारी रहती है उक्त गलती की प्रार्थीया जो ओरत जात है को कोई इल्म नहीं रहा। प्रार्थीया वास्तव मे उक्त ओमप्रकाश को अपने 39/1492 वां हिस्सें का 1/3 हिस्सा जो कुल आराजी का 13/1492 वां हिस्सा होता है विक्रय [illegible] 26/1492 [illegible] हकदार रहती है किन्तु नामान्तकरण सं0 1810 मे कालम सं0 7 [illegible] दर्ज 39/1492 वां हिस्सें का 1/3 हिस्सा जो कुल भूमि [illegible] नामान्तकरण सं0 1810 के कालम [illegible] झमकूदेवी का शेष हिस्सा 26/1492 रहता है की बजाय सहवन से नामान्तकरण सं0 1810 के कालम नं0 9 में लिपिकीय भूल से 13/1492 दर्ज हो गया जिसकी प्रार्थीया को कभी जानकारी नहीं

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रही। पटवारी हल्का से दिनांक 21.06.19 को जब जमाबन्दी की नकल लेने [illegible] जानकारी हुयी कि प्रार्थीया के 26/1492 वां हिस्सें की बजाय जमाब[illegible] 13/1492 वां हिस्सा दर्ज है जो रेकार्ड के अनुसार कानूनन गलत है जिसे [illegible] किया जाना न्यायोचित है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने अपना जवाब [illegible] किया जिसमें अंकित किया कि विक्रय पत्र द्वारा वादी ने 39/1492 हिस्सा [illegible] हिस्सा का विक्रय विक्रेता को किया जाना नामान्तकरण भी सही दर्ज किया [illegible] परन्तु बाकि हि0 बदस्तूर सहवन से गलत होना प्रतीत होता है रिकोर्ड के [illegible] दुरूस्ती किया जाना उचित है। वादी का हिस्सा दुरूस्त किया जाना [illegible] विधिवत इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने पर भूमिधरक तहसीलदार फुलेरा को कोई [illegible] नही है।

3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076, [illegible] नामान्तकरण सं0 1810 दिनांक 20.01.17 झमकूदेवी वहक ओमप्रकाश, नकल [illegible] पत्र दिनांक 15.12.16 की प्रतिया पेश की है।

4. बहस वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में [illegible] किया कि आराजी ख0नं0 332 रकबा 18 बीघा 13 विस्वा है जिसमें प्रार्थीया 13/[illegible] वां हिस्सें की रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार थी उक्त खातेदार ने अपने 13/3[illegible] हिस्सें का 1/4 हिस्सा जो कुल भूमि का 13/1492 वां हिस्सा होता है चन्द[illegible] को दिनांक 04.05.16 को बेचान कर दी थी। उक्त बेचान पत्र दिनांक 04.05.[illegible] आधार पर चन्दादेवी के नाम नामान्तकरण सं0 1777 दिनांक 18.06.16 को त[illegible] किया गया जिसके अनुसार 13/372 वां हिस्सें में से चन्दादेवी के नाम 13/[illegible] वां हिस्से का इन्द्राज जमाबन्दी में किया गया उसके उपरान्त झमकूदे[illegible] हिस्से/खाते में 39/1492 हिस्सें की भूमि शेष रही जैसाकि नामान्तकरण सं0 [illegible] दिनांक 18.06.16 के नोट में अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थीया झमकूदेवी के [illegible] में 39/1492 के अनुसार 09.75 विस्वा जमीन आती है। प्रार्थीया ने अपने 39/[illegible] हिस्सें का 1/3 हिस्सा की भूमि जिसका क्षेत्रफल 03.25 विस्वा होता है जो [illegible] रकबें का 13/1492 हिस्सा होता है जरिये रिजस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.[illegible] को ओमप्रकाश चौधरी पुत्र नारायणलाल जाट नि0 टीबावाली ढाणी भासिंहपु[illegible] बेचान की जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 1810 दिनांक 02.01.17 को प[illegible] हल्का ने भरा जिसके अनुसार पटवारी हल्का ने क्रेता ओमप्रकाश का हिस्सा [illegible] के अनुसार 13/1492 तो सही भर दिया किन्तु शेष हिस्सा 26/1492 वि[illegible] क्षेत्रफल 6.5 विस्वा होता है की बजाय सहवन से शेष हिस्सा 26/1492 की [illegible] 13/1492 दर्ज कर दिया गया। उक्त लिपिकीय भूल के कारण जमाबन्दी खात[illegible] नया 151 पुराना 63 संवत् 2073–2076 वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 [illegible] के कॉलम नं0 4 खातेदारों के खाने में झमकूदेवी पत्नि सोहनलाल जाति जा[illegible] 13/73 दर्ज कर दिया गया वास्तव में झमकूदेवी द्वारा अपने 39/1492 वां हि[illegible] से 13/1492 वां हिस्सा ओमप्रकाश को विक्रय के बाद हिस्सा 26/149[illegible] खातेदारी रहती है उक्त गलती की प्रार्थीया जो ओरत जात है को कोई इल[illegible] रहा। प्रार्थीया वास्तव मे उक्त ओमप्रकाश को अपने 39/1492 वां हिस्सें का [illegible] हिस्सा जो कुल आराजी का 13/1492 वां हिस्सा होता है विक्रय के बाद 26/[illegible] वां हिस्सें के हकदार रहती है किन्तु नामान्तकरण सं0 1810 मे कालम सं[illegible] झमकू के दर्ज 39/1492 वां हिस्सें का 1/3 हिस्सा जो कुल भूमि का 13/14[illegible] हिस्सा होता है का इन्द्राज नामान्तकरण सं0 1810 के कालम नं0 9 में करने [illegible] झमकूदेवी का शेष हि[illegible] से नामान्तकर[illegible] 1810 के कालम नं0 9 में लिपिकीय भूल [illegible] दर्ज हो गया जिसकी [illegible] को कभी जानकारी नहीं [illegible] को जब ज[illegible] की नकल लेने गयी [illegible] 26/1492 वां हि[illegible] बजाय जमाबन्दी में 13[illegible] जो रेकार्ड के अनुसार [illegible] गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित में [illegible]श्यक है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस प्रार्थी[illegible] अवलोकन/मनन किया गया। तहसीलदार फुलेरा के जवाब का अवलोकन [illegible] गया जिसमें तहसीलदार फुलेरा द्वारा उक्त प्रा0पत्र स्वीकार करने में कोई [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

झमकूदेवी बनाम राज0 सरकार
प्रा0पत्र सं0 62 / 19

प्रकट नहीं की है इस आधार पर प्रार्थीया का प्रा0पत्र 131 / 136 ले0रे0ऐ0 का स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 / 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम रेवन्यू ऐक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने बाबत् राजस्व रिकोर्ड का स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 जोबनेर गि0ह0 जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं0 151 पुराना 63 मे वर्णित खं0नं0 332 रकबा 18 बीघा 13 विस्वा के सम्बन्ध में नामान्तकरण सं0 1810 दिनांक 20.01.17 का नोट अंकित किया गया उसमें झमकूदेवी पत्नि सोहनलाल का दर्ज हिस्सा 13 / 1492 की बजाय 26 / 1492 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 8-11-19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner